v/;k;-I

iLrkouk

1-1 ctV :ijs[kk

रा.रा.क्षे. दिल्ली में 66 विभाग एवं 74 स्वायत्त निकाय हैं। 2009-14 के दौरान राज्य सरकार द्वारा बजट अनुमानों एवं उनके विरूद्ध वास्तविकों की स्थिति rkfydk 1-1 में दी गई है:

rkfydk-1-1

2009-14 ds nkSjku jkT; ljdkj dk ctV ,oa O;;

¼₹ djksM+ esa½

fooj.k	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14	
	ctV vuqeku	okLrfod	ctV vuqeku	okLrfod	ctV vuqeku	okLrfod	ctV vuqeku	okLrfod	ctV vuqeku	okLrfod
jktLo O;;										
सामान्य सेवाएं	1304.63	3629.67	1273.48	3728.95	1589.55	4347.23	3128.74	5738.57	5792.69	5597.48
सामाजिक सेवाएं	8370.95	8103.58	9345.57	8718.80	11567.05	10717.11	12616.68	11737.43	13134.81	12314.54
आर्थिक सेवाएं	1703.20	1650.28	1542.56	1392.46	2253.06	2172.22	2611.64	2350.82	3783.08	3650.00
सहायता अनुदान एवं योगदान	521.44	517.35	555.84	541.53	736.23	728.29	833.77	832.53	804.50	804.50
dqy ¼1½	**11900.22**	**13900.88**	**12717.45**	**14381.74**	**16145.89**	**17964.85**	**19190.83**	**20659.35**	**23515.08**	**22366.52**
iwathxr ifjO;;										
iwathxr O;;	4883.55	4717.27	4433.08	3984.80	4209.53	4004.27	4835.80	4176.63	4889.22	4707.42
forfjr _.k ,oa vfxze	5702.05	5701.30	6378.47	6364.73	3404.58	3345.42	4082.37	3734.83	5694.00	5652.37
yksd _.k dk iqquHkqZxrku	699.50	606.47	800.00	793.06	1090.00	1087.88	1288.00	1287.99	1325.29	1325.29
vkdfLedrk fuf/k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
yksd ys[kk ls forj.k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vUr jkdM+ 'ks"k	**0**	**3387.70**	**0**	**7713.20**	**0**	**4636.28**	**0**	**1985.75**	**0**	**880.65**
dqy ¼2½	**11285.10**	**14412.74**	**11611.55**	**18855.79**	**8704.11**	**13073.85**	**10206.17**	**11185.20**	**11908.51**	**12565.73**
ldy tksM+ ¼1$2½	**23185.32**	**28313.62**	**24329.00**	**33237.53**	**24850.00**	**31038.70**	**29397.00**	**31844.55**	**35423.59**	**34932.25**

स्रोत : वार्षिक वित्तीय विवरणियाँ तथा राज्य सरकार के वित्त लेखे

1-2 jkT; ljdkj ds lalk/kuksa dk vuqiz;ksx

2009-14 के दौरान राज्य सरकार का कुल व्यय[1] ₹ 24319.45 करोड़ से बढ़कर ₹ 32726.31 करोड़ हो गया था तथा राजस्व व्यय 2009-10 में ₹ 13900.88 करोड़ से 2013-14 में ₹ 22366.52 करोड़ तक 60.90 *प्रतिशत* से बढ़ा था। 2009-14 की अवधि के दौरान गैर-योजनागत राजस्व व्यय ₹ 9158.12 करोड़ से ₹ 14904.24 करोड़ तक 62.74 *प्रतिशत* से बढ़ा था एवं पूँजीगत व्यय 2009-14 की अवधि के दौरान ₹ 4717.27 करोड़ से ₹ 4707.42 करोड़ तक घट गया।

वर्ष 2009-14के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 57.15 से 68.34 *प्रतिशत* था एवं पूँजीगत व्यय 19.40 से 14.38 *प्रतिशत* था। इस अवधि के दौरान, कुल व्यय आठ*प्रतिशत* की वार्षिक औसत दर से बढ़ा था,जबकि राजस्व प्राप्तियाँ 2009-14 के दौरान 8.87 *प्रतिशत* की वार्षिक औसत विकास दर से बढ़ी थीं।

[1]लोकऋण के पुनर्भुगतान तथा नगद शेषों को छोड़कर

1-3 fujarj cpr

छः मामलों में, पिछले पाँच वर्षों के दौरान, प्रत्येक में ₹ 1.00 करोड़ से अधिक की निरन्तर बचतें थीं जिनका विवरण rkfydk-1-2 में दिया गया है।

rkfydk- 1-2

o"kZ 2009-14 ds nkSjku fujarj cprksa ds lkFk vuqnkuksa dh lwph

¼₹ djksM+ esa½

Ø- l-	vuqnku la[;k rFkk uke	cpr dh jkf'k				
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
jktLo ¼nŸker½						
1.	vuqnku l- 3 ¼ U;k; dk iz'kklu	8.49	6.50	8.69	5.00	6.04
2.	vuqnku l- 5 ¼ xg	2.56	2.85	6.49	4.89	3.41
3.	vuqnku l- 7 ¼ fpfdRlk ,oa yksd LokLF;	12.22	2.04	7.45	1.93	3.50
4.	vuqnku l- 11 ¼ 'kgjh fodkl rFkk ykd fuekZ.k foHkkx	198.93	64.45	300.93	189.87	325.16
iwathxr ¼nŸker½						
5.	vuqnku l- 8 ¼ lkekftd dY;k.k	30.00	10.00	240.75	8.39	97.21
6.	vuqnku l- 11 ¼ 'kgjh fodkl rFkk ykd fuekZ.k foHkkx	14.59	8.16	23.32	19.54	20.18

स्त्रोतः विनियोग लेखे

इन शीर्षों के अंतर्गत निरंतर बचतें रिक्त पदों को न भरे जाने, कम भण्डार मदों के क्रय, योजना के अंतर्गत दि.न.नि. को निधि कम/नहीं प्राप्त होना, नगरपालिकाओं का गैर निष्पादन, अनुदान का द्वविभाजन, योजना का गैर क्रियान्वयन समय पर संस्वीकृति प्राप्त न होने के कारण थी।

1-4 Hkkjr ljdkj ls lgk;rk vuqnku

2009-10 से 2013-14 के दौरान भा.स. से प्राप्त सहायता अनुदान rkfydk-1-3 में दी गई है:

rkfydk-1-3

Hkkjr ljdkj ls lgk;rk vuqnku dk o"kZ-okj C;kjs

¼₹ djksM+ esa½

fooj.k	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
xSj&;kstukxr vuqnku	1913.12	2338.71	978.85	333.57	326.91
jkT; ;kstukxr ;kstukvksa grq vuqnku	1430.94	1743.49	728.54	861.81	581.03
dsUæh; ;kstukxr ;kstukvksa grq vuqnku	60.92	144.81	86.22	57.92	136.78
dsUæh; izk;ksftr ;kstukvksa grq vuqnku	131.10	130.39	167.03	249.22	358.14
dqy	**3536.08**	**4357.40**	**1960.64**	**1502.52**	**1402.86**
fiNys o"kZ dh rqyuk esa of) ¼$½@deh ¼&½ dh izfr'krrk	(+) 89.02	(+) 23.23	(-) 55.00	(-) 23.37	(-) 6.63
jktLo izkfIr;k¡	20451.34	25024.10	22393.17	25560.97	27980.69
jktLo izkfIr;ksa dk izfr'kr	17.29	17.41	8.76	5.88	5.01

2009-11 की अवधि के दौरान भा.स. से कुल सहायता अनुदान ₹ 3536.08 करोड़ से बढ़कर ₹ 4357.40 करोड़ हो गया तदन्तर 2011-14 के दौरान ₹ 4357.40 करोड़ से ₹ 1402.86 करोड़ तक की महत्वपूर्ण कमी हुई। इसका राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता 5.01 से 17.41 *प्रतिशत* के मध्य थी।

1-5 y[kkijh{kk dh ;kstuk rFkk ic/ku

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, योजनाओं/परियोजनाओं इत्यादि, गतिविधियों की विवेचनात्मक/जटिलता, प्रदत्त वित्तीय शक्तियों का स्तर, आंतरिक नियंत्रण तथा ऋणधारकों के विषयों तथा पूर्व लेखापरीक्षा प्राप्तियों के जोखिम निर्धारण के साथ प्रारंभ होती है। इस जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति तथा विस्तार तय किए जाते हैं एवं एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा की समाप्ति के बाद, लेखापरीक्षा प्राप्तियों को शामिल करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन, कार्यालय प्रमुख को चार हफ्ते में उत्तर प्रदान करने के अनुरोध के साथ जारी की जाती है। जब भी उत्तर प्राप्त होता है लेखापरीक्षा आपत्तियों का या तो निपटान किया जाता है अथवा आगे अनुपालना के लिए परामर्श दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में निर्देशित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए संसाधित किया जाता है जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

2013-14 के दौरान, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के कार्यालय से राज्य के 142 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तथा 10 स्वायत्त निकायों की अनुपालना लेखापरीक्षा की गई। इनके अतिरिक्त, पाँच निष्पादन लेखापरीक्षाएँ भी आयोजित की गई।

1-6 y[kkijh{kk ifronu ij ljdkj dk iR;Ÿkj

पिछले कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा ने विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण कमियों साथ ही चयनित विभागों के आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता जिसका विभाग के क्रियाकलापों तथा कार्यक्रमों की सफलता पर नकारात्मक प्रभाव था, को बताया। विशिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं की लेखापरीक्षा तथा कार्यकारी अधिकारी को उपचारात्मक कार्रवाई करने एवं नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के उन्नयन के लिए उपर्युक्त सिफारिशें देने पर फोकस था।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) दिल्ली द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा पैराग्राफों को संबंधित प्रधान सचिवों/विभाग के सचिवों को, लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित करने तथा छः सप्ताहों के भीतर अपने प्रत्युत्तर भेजने का अनुरोध करते हुए, प्रेषित किए जाते हैं। विभागों/सरकार से जवाबों की गैर-प्राप्ति के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित ऐसे पैराग्राफों के अंत में निरपवाद रूप से उल्लेखित किया जाता है। 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक (गैर-सा.क्षे.उ.) क्षेत्रों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित किए जाने वाले प्रस्तावित पाँच निष्पादन लेखापरीक्षाएँतथा 21 पैराग्राफों को प्रधान सचिवों/संबंधित विभागों के सचिवों को भेजा गया

था। इनमें से दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा 21 लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (मार्च 2015)।

1-7 y[kkijh{kk d n"VkUr ij olyh

राज्य सरकार के विभागों के लेखों की नमूना लेखापरीक्षा के समय नमूना जाँच परीक्षा के दौरान वसूली शामिल करते हुए लेखापरीक्षा प्राप्तियाँ पाई गईं जिन्हें विभिन्न विभागीय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (आ. एवं सं. अ.) की पुष्टि तथा लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए आगे आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया।

2013-14 के दोरान ₹ 170.61 करोड़ के 199 मामलों में वसूली के प्रति संबंधित आ. एवं. सं. अ. ने 2013-14 के दौरान 28 मामलों में ₹ 1.60 करोड़ (पिछले वर्षों की वसूली शामिल करते हुए) की वसूली की।

1-8 y[kkijh{kk d ifr ljdkj d mÙkjnkf;Ro e deh

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली सरकारी विभागों के लेन-देन की नमूना जाँच द्वारा आवधिक निरीक्षण आयोजित करता है तथा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार महत्वपूर्ण लेखांकन एवं अन्य दस्तावेजों का रखरखाव साक्ष्यांकित करती है। इन जाँचों के पश्चात् लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) जारी किए जाते हैं। जब लेखापरीक्षा जॉच के दौरान महत्वपूर्ण अनियमितताएँ इत्यादि पाई जाती हैं एवं तत्काल नहीं निपटाई जाती हैं, तो उन्हें नि.प्र. के द्वारा निरीक्षित कार्यालयाध्यक्ष को जारी किया जाता है। कार्यालयाध्यक्ष तथा उनके उच्च प्राधिकारियों को नि.प्र. की प्राप्ति के चार हफ्तों के अंदर उसकी अनुपालना की रिपोर्ट प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) को करनी चाहिए।

नमूना जाँच के परिणामों पर आधारित, 31 मार्च 2014 को 1548 नि.प्र. में बकाया 6679 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ rkfydk-1-4 में दी गई हैं:

rkfydk-1-4

cdk;k fujh{k.k ifronu@iSjkxzkQ

¼₹ djkM+ e½

{k= dk uke	fujh{k.k ifronu	iSjkxzkQ	'kkfey jkf'k
सामाजिक क्षेत्र	774	3129	219.56
सामान्य क्षेत्र	616	3000	256.34
आर्थिक क्षेत्र (गैंर सासा.क्षे.उ.)	158	550	4682.75
	1548	**6679**	**5158.65**

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बावजुद बड़ी संख्या में पैराग्राफों का लंबन लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया की कमी को दर्शाता है।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार को विभागों द्वारा समयबद्ध तरीके से लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर तुरंत तथा उचित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना चाहिए।

1-9 y[kkijh{kk ifronuk ij vuorh dkjokbZ

1-9-1 Lo-izsj.kk ls dkjokbZ fVIif.k;ka dk izLrqr u fd;k tkuk rFkk yk-ys-l- esa iSjkxkQ dh ppkZ

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दिए गए मामलों के प्रति कार्यपालकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु प्रशासकीय विभागों द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सभी लेखापरीक्षा पैराग्राफ व निष्पादन लेखापरीक्षा पर स्व-प्रेरणा से कार्रवाई टिप्पणी (का.टि.) इस तथ्य के बावजुद कि इनपर लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) द्वारा चर्चा हुई हैं या नहीं, प्रारंभ करना चाहिए। इन का.टि. को लो.ले.स. के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधान सभा में प्रस्तुति की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली द्वारा अच्छी तरह पुनरीक्षण के पश्चात प्रस्तुत करना चाहिए।

यद्यपि, यह पाया गया कि 31 मार्च 2014 तक 2005-06 से 2012-13 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सिविल अध्यायों में आई 29 निष्पादन लेखापरीक्षा व 88 लेखापरीक्षा पैराग्राफ में से स्व प्रेरणा से कार्रवाई टिप्पणी 13 निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 33 लेखापरीक्षा पैराग्राफ के लिए प्राप्त नहीं हुए हैं तथा मात्र चार निष्पादन लेखापरीक्षा व 29 लेखापरीक्षा पैराग्राफ पर लो.ले.स. द्वारा चर्चा की गई थी।

1-10 y[kkijh{kk ifronu esa n'kk;s x, iqujh{k.kksa ,oa iSjkxkQksa dk o"kZ-okj fooj.k

पिछले दो वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दिए गए निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा लेखापरीक्षा पैराग्राफों के वर्ष-वार ब्यौरे उनकी धनराशि सहित rkfydk-1-5 में दिए गये हैं:

rkfydk 1-5

2011-13 ds nkSjku y[kkijh{kk ifronuksa esa izn£'kr fu"iknu y[kkijh{kk rFkk y[kkijh{kk iSjkxkQksa ls lEcfU/kr fooj.k

o"kZ	fu"iknu@fo"k;d@lhlhvks vk/kkfjr y[kkijh{kk		y[kkijh{kk iSjkxkQ		iklr mÙkj	
	la[;k	/ku eY; ¼₹ djksM+ esa½	la[;k	/ku eY; ¼₹ djksM+ esa½	fu"iknu y[kkijh{kk	MªkWV iSjkxkQ
2011-12	11	8951.52	7	12.15	3	0
2012-13	7	94.77	8	226.57	4	5

2013-14 ds nkSjku ikap fu"iknu y[kkijh{kk,a rFkk 21 MªkWV y[kkijh{kk iSjkxkQ राज्य सरकार को जारी किए गए। यद्यपि सरकार/विभागों से केवल तीन निष्पादन लेखापरीक्षाओं के संदर्भ में उत्तर प्राप्त हुए है।

₹ 43.40 करोड़ के धन मूल्य की पाँच निष्पादन लेखापरीक्षाएँ तथा ₹ 146.26 करोड़ के 15 लेखापरीक्षा पैराग्राफ इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए हैं। यद्यपि जो भी उत्तर प्राप्त हुए, उन्हें यथास्थान समाविष्ट किया गया है।